

फर्द अहकाम

सुल्तान बनाम बंशीधर वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मुकदमा नम्बर70...../2025 दावा बाबत घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/172

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
19.05.2025		<p>वादी की ओर से यह वादपत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह एवं गौरव शर्मा के द्वारा पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी होकर पत्रावली वास्ते तल्बी हेतु दिनांक 30.06.2025 को पेश हों।</p>	
30 ⁶ / ₂₅		<p>वकूलाये फरीकन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दारे/अवकाश/प्रशा.कर्म में व्यस्त है पत्रावली दिनांक...01.7.25 को पेश हो।</p>	
01 ⁰⁷ / ₂₅		<p>पत्रावली पेश की गयी है। वादी के अर्जों पर वादपत्र को खिंचे कछे अर्जों किफ के डाडेशिका पर छतराट कट गइल के खिंचे कछे छेरे किफेडन सिफा बखपट मगन सिफा। पत्रावली का बकलिकेन सिफा गय। गणपत स्वीकार कर शामिल सिफेल सिफा गय। वादी का वादपत्र अकी स्तर पर खिंचे कर कारिज सिफा जाता है। पत्रावली छंसल शुमार होबड दर्ज नम्बर से कम छे काट दाविल इफ्तल है।</p>	<p>सुनना</p>
		<p>उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	